रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2674] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940
No. 2674] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

का.आ. 3445(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप - धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1. श्री बलराम शर्मा, अध्यक्ष;
 भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त)
 गांव और डाक, नेहरान पुखर, तहसील देहरा,
 कांगड़ा-177104, हिमाचल प्रदेश
2. डा. संजय कुमार, सदस्य;
 निदेशक, सीएसआईआर,
 इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो-रिसोर्स टैक्नोलाजी, पालमपुर, जिला कांगड़ा-176061, हिमाचल प्रदेश
3. निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, पर्यावरण भवन, यूएस क्लब, शिमला-1, हिमाचल प्रदेश — सदस्य सचिव;

2. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है ।

4. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.वि.मू.स.) की सिफारिशों के पश्चात् अपना विनिश्चय करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश की सहायता करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.वि.मू.स. कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1.	डा. अजय भंडारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, (सेवानिवृत्त), सूरजकुंड बिल्डिंग, सेक्टर 5, नया शिमला, शिमला -171009, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष;
2.	डा. कुलराज सिंह कपूर, कोनीफर कैंपस, पंथाघाटी, शिमला-171009, हिमाचल प्रदेश	सदस्य;
3.	श्री अरुण कुमार शर्मा, केयर/ऑफ श्रीमती अलका शर्मा, प्रिंसिपल, अम्ब सरकारी महाविद्यालय, जिला ऊना-177203, हिमाचल प्रदेश	सदस्य;
4.	डा. करतार सिंह वर्मा, गांव और डाकघर दोमेहर, तहसील घुमारविन, जिला बिल्सापुर-174027, हिमाचल प्रदेश	सदस्य;
5.	डा. भूपेन्द्र सिहं मार्ह, सेट नं. 2 (प्रथम तल) सनराइज बिल्डिंग, (निकट सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय), समरहिल, शिमला -171005, हिमाचल प्रदेश	सदस्य;
6.	श्री अछे नाथ गौतम (सेवानिवृत्त) राज्य नगर योजनाकार, "एक ओंकार निवास" मिडल फ्लोर, लोअर संगति, अपर सनोग, डाकघर समरहिल, शिमला-171005, हिमाचल प्रदेश	सदस्य;
7.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी(पर्यावरण) सह- प्रधान पर्यावरण प्रभाग, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण भवन, यूएस क्लब, शिमला-1, हिमाचल प्रदेश	सचिव।

IndiaCode

6. रा.वि.मू.स., हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. रा.वि.मू.स. हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो उक्त राजपत्र की अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट है ।

8. रा.वि.मू.स., हिमाचल प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कृत्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि मतैक्य नहीं हो पाता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

9. हिमाचल प्रदेश सरकार, प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश और रा.वि.मू.स. हिमाचल प्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सचिवालय प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश और रा.वि.मू.स., हिमाचल प्रदेश को सभी वित्तीय और यांत्रिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और कानूनी कृत्यों की संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, प्रदान करेगा ।

10. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश और रा.वि.मू.स., हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों की आसीन फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता, का संदाय हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013/15/2007-आईए-II(I)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2018

S.O. 3445(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Himachal Pradesh) comprising of the following Members, namely: —

1. Shri Bal Ram Sharma, -Chairman;
 Indian Administrative Service, (Retired),
 Village and Post Nehran Pukhar, Tehsil Dehra, Kangra - 177104, Himachal Pradesh
2. Dr. Sanjay Kumar, -Member;
 Director,
 CSIR Institute of Himalayan Bioresource Technology,
 Palampur, District Kangara -176061, Himachal Pradesh
3. Director, -Member Secretary.
 Department of Environment, Science and Technology, Government of Himachal Pradesh,
 Paryavaran Bhawan, US Club, Shimla - 1, Himachal Pradesh

2. The Chairman and Members of the Authority, Himachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Himachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Himachal Pradesh shall take its decision after the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the State of Himachal Pradesh.

5. For the purpose of assisting the Authority, Himachal Pradesh, the Central Government in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Himachal Pradesh) comprising of the following Members, namely:-

1.	Dr. Ajai Bhandari, Indian Administrative Service, (Retired), Suraj Kund Building, Sector-5, New Shimla, Shimla -171009, Himachal Pradesh	-Chairman;
2.	Dr. Kulraj Singh Kapoor, Conifer Campus, Pantaghati, Shimla - 171009, Himachal Pradesh	-Member;
3.	Shri Arun Kumar Sharma, C/o Mrs. Alka Sharma, Principal Government College Amb, District Una -177203, Himachal Pradesh	-Member;
4.	Dr. Kartar Singh Verma, Village and Post Domehar, Tehsil Ghumarwin, District Bilsapur -174027, Himachal Pradesh	-Member;
5.	Dr. Bhupinder Singh Marh, Set No.2 (First Floor), Sunrise Building (Near Government Senior Secondary School), Summer Hill, Shimla - 171005, Himachal Pradesh	-Member;
6.	Shri Achhe Nath Gautam, Retired State Town Planner "Ek Onkar Niwas" Middle Floor, Lower Sangti, Upper Sanog, P.O. Summerhill, Shimla - 171005, Himachal Pradesh	-Member;
7.	Principal Scientific Officer (Environment)-cum-Head Environment Division, Department of Environment, Science & Technology, Paryavaran Bhawan, US Club, Shimla - 1, Himachal Pradesh	-Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Himachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The SEAC, Himachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Himachal Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Himachal Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of the statutory functions of the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Himachal Pradesh and SEAC, Himachal Pradesh shall be paid as per the rules of the State Government of Himachal Pradesh.

[F. No. J-11013/15/2007-IA-II (I)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.07.17 15:44:50 +05'30'

IndiaCode